

FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

जज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....
महेश सिंह बनाम सरदार
किस्म मु०..... मिसल न० 55/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/9/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी महेश कुमार पुत्र बिहारीलाल ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र बिहारीलाल नि० गणेशखेडा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1013/2 में काशतगार का नाम महेश कुमार पुत्र बिहारीलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम महेश कुमार पुत्र बिहारीलाल के स्थान पर महेश सिंह पुत्र बिहारीलाल नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक18/9/25.... को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	